

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-125 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

①

लाजरूस संगी

-- विक्रेता

निकोलस गुडिया

-- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

## आदेश

आवेदक लाजरूस संगी पिता स्व० जोहन संगी ग्राम घुनसुली, थाना करी, जिला खूँटी ने निकोलस गुडिया पिता जोहन गुडिया ग्राम घुनसुली, थाना करी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना न०	खाता न०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
घुनसुली	121	39	1287	0.38

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपरिथत हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 1485527869 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, करी के पत्रांक 632 दिनांक 18.08.18 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रयत का नाम दुगा मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार दुगा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 36.98 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 4.62 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 6500.00(छः हजार पाँच सौ)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 3.74 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना करी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजदूरी आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरोहिन्द, भूहदबन्दी एवं अत्यन्त की के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, करी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि का विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, करी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किराी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लाजरूस संगी पिता स्व० जोहन संगी को निकोलस गुडिया पिता जोहन गुडिया के साथ ग्राम घुनसुली के खाता सं० 39 खेसरा संख्या 1287 का रकबा 0.38 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6500.00(छः हजार पाँच सौ)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, करी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

अस्थापित एवं संशोधित  
18/08/18  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

18/08/18  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।